



भारत सरकार/Government of India

वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग

Ministry of Finance, Department of Revenue

सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्त का कार्यालय

Office of the Commissioner of Customs (Preventive)

110 महत्मा गांधी रोड, पूर्वोत्तर क्षेत्र, शिलांग-793001, मेघालय

110 Mahatma Gandhi Road, NER, Shillong - 793001, Meghalaya

फोन/Phone: 0364-2222597/2225325/फैक्स/Fax: 0364-2223440/2229007.ई-मेल/ E-mail: cusshg@gmail.com

(हिंदी अनुवाद)

निर्देश संख्या 02/2018

शिलांग, दिनांक 9 जुलाई 2018

विषय: बांग्लादेश से यात्रियों का आने जाने - भारतीय मुद्रा और मुद्रा नोटों के संबंध में प्रतिबंध-संबंधी ।

सभी संबंधितों का ध्यान सामान नियम 2016 के नियम 7 को ओर आकर्षित किया जाता है, जिसमें कहा गया है कि इन नियमों के तहत मुद्रा का आयात और निर्यात विदेशी मुद्रा प्रबंधन (मुद्रा के निर्यात और आयात) विनियमों 2015 के प्रावधानों के अनुसार शासित होगा ।

यह जानकारी प्राप्त हुई है कि बांग्लादेश से इस आयुक्तालय में थल सीमा शुल्क चौकी पर भारत आने के दौरान भारतीय मुद्रा लेकर आते हैं। इस संबंध में, यह ध्यान दिया जा सकता है कि विदेशी मुद्रा प्रबंधन (मुद्रा का निर्यात और आयात) विनियम, 2015 का विनियमन 3 भारतीय मुद्रा और मुद्रा नोटों के निर्यात और आयात और विनियम 3 के उप विनियम (2) के अनुसार नियम स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि भारत में प्रवेश करते समय बांग्लादेश और पाकिस्तान के नागरिकों को किसी भी भारतीय मुद्रा को आयात करने की अनुमति नहीं है। इसके अलावा, पैरा 2 ए (बी)(ii) दिनांक 04.02.16 के आरबीआई ए. पी. (डीआईआर सीरीज़) परिपत्र सं 45/2015-16 [(1)/6 (आर)] के अनुसार केवल भारत के बाहर निवासी जो पाकिस्तान या बांग्लादेश के नागरिक नहीं हैं को भारत आने के लिए भारत, भारतीय मुद्रा लाने की अनुमति है, जो स्पष्ट रूप से बताया गया है कि पाकिस्तान या बांग्लादेश के नागरिकों को भारत में प्रवेश करते समय भारतीय मुद्रा लाने की अनुमति नहीं है।

इसी तरह, उपर्युक्त नियम और आरबीआई परिपत्र के तहत बांग्लादेश और पाकिस्तान के नागरिकों द्वारा भारत, भारतीय मुद्रा और मुद्रा नोटों को ले जाने की अनुमति नहीं देते हैं।

पूर्ववर्ती में, इस आयुक्तालय में थल सीमा शुल्क चौकी पर तैनात सीमा शुल्क अधिकारी को भारतीय मुद्रा और मुद्रा नोटों के आयात और निर्यात के संबंध में प्रावधानों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि बांग्लादेश या पाकिस्तान के नागरिक भारत में नहीं आ सकें या भारतीय मुद्रा नहीं ला सकें या न ही भारत से भारतीय मुद्रा बाहर ले जा सकें।

(बंदना देवरी)

आयुक्त

प्रति सूचना एवं आवश्यक कारवाई हेतु ।

1. मुख्य आयुक्त, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, शिलांग जोन, शिलांग ।
2. उप आयुक्त /करीमगंज /इम्फाल /गुवाहाटी /दिमापुर/धुबरी/आइज़ल /सहायक आयुक्त सीमा शुल्क प्रभाग अगरतला / शिलांग ।
3. उप आयुक्त(नि), सीमा शुल्क मुख्या, शिलांग
4. सहायक आयुक्त, थल सीमा चौकी , अगरतला / मोरेह/ सुतार्कदी ।
5. अधीक्षक, कंप्यूटर कक्ष, सीमा शुल्क मुख्यालय, शिलांग को इस स्थायी आदेश को आयुक्तालय के वेबसाइट में अपलोड करे ।
8. गार्ड फाइल

श. चौधरी

(शुभादीप चौधरी)
अधीक्षक(तकनीकी)